



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 24.12.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त 10,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त राम खेलावन उर्फ सुबोध को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा गैनेस्टर एक्ट में वांछित/10000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त मय अवैध तमन्चा मय कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक 24.12.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश व श्रीमान क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के कुशल मार्ग दर्शन में मुझ प्रभारी निरीक्षक धौरहरा के पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम व वांछित / शक्तिर अपराधियों की घर पकड़ने के सम्बन्ध में मुखविर की सूचना पर थाना ईसानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 566/2020 धारा 2/3 सू0पी0 गैनेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राम खेतावन उर्फ सुबोध पुत्र राम नरेश गौतम नि0 कन्धईपुरवा मजरा भौवापुर कला थाना धौरहरा खीरी हातपता पिपरिया थाना धौरहरा जिला खीरी को पिपरिया मोड पर समय करीब 06.50 बजे सुबह मय एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार किया गया बरादनी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 622/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया अभियुक्त को माननीय न्यायालय विधिक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। अभियुक्त पर थाना धौरहरा व थाना ईसानगर व कोतवाली सदर व जनपद बहराइच में अपराध कारित करता है। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण

राम खेतावन उर्फ सुबोध पुत्र राम नरेश गौतम नि0 कन्धईपुरवा मजरा भौवापुर कला थाना धौरहरा खीरी हातपता पिपरिया थाना धौरहरा जिला खीरी

विवरण बरादनी

एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 354/2020 धारा 411/413/414/420 भादवि थाना ईसानगर खीरी
- 2- मु0अ0सं0 761/2020 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली सदर खीरी
- 3- मु0अ0सं0 51/2020 धारा 379/411 भादवि थाना धौरहरा खीरी
- 4- 290/19 धारा 379/411 भादवि थाना रूपईडीहा जिला बहराइच
- 5- 212/19 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जिला बहराइच
- 6- मु0अ0सं0 566/2020 धारा 2 / 3 सू0पी0 गैनेस्टर एक्ट थाना ईसानगर खीरी

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त मनोज पासी को

गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त मनोज पासी पुत्र रामेश्वरदयाल नि० दऊतपुर थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध रामपुरी चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 501/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04

अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों 1. रामसिंह पुत्र जुगनू नि० मोस्तापुर थाना हरगांव जनपद सीतापुर 2. लाला पुत्र ब्रजमोहनलाल 3. कल्लू पुत्र रामप्रसाद 4. गुड्डू उर्फ आचार्यजी पुत्र रामनरेश नि० रुद्रपुरकला थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 2050 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद किये गये। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 645/20 व धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त

रामकिशोर को किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट थाना सिंगाही जनपद खीरी

थाना सिंगाही की पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर साथ एक नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना सिंगाही पर मु030स0 409/2020 धारा 3/25A ACT पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में चलाये जा रहे सयन अभियान वांछित / वारण्टी अपराधी व सदिग्ध व्यक्ति वस्तु से संबंधित गिरफ्तारी के अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय निवासन के निर्देशन में थानाध्यक्ष सिंगाही श्री प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की जा रही सयन चेकिंग के दौरान आज दिनांक 24.12.2020 को एक नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया विस्तृत विवरण निम्नवत है।

घटना का विवरण

आज दिनांक 24.12.2020 को थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह, 30नि0 श्री व्यास यादव, का0 सुशील कुमार, का0 नीरज कुमार के विनावर देखभाल क्षेत्र व शेकथाम जुर्म जययम एवं तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी में मामूर था जब हम पुलिस वाले सिंगाही से ग्राम बथुआ की तरफ जा रहे थे तो एक व्यक्ति मटहिया के तरफ से आ रहा था तो एक व्यक्ति हमें देखकर अचानक तेज कदमों से वापस मुड़कर ग्राम मटहिया की तरफ लगा कि शक होने पर इस व्यक्ति को टोका व रुकने को कहा तो नहीं रुका और अधिक तेजी से जाने लगा तो हम पुलिस वालों ने दौड़कर घेरकर ग्राम बथुआ मोड़ से मटहिया को जाने वाले रास्ते पर करीब 100 मीटर की दूरी पर 10.15 बजे पकड़ लिया नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम रामकिशोर पुत्र हिमांचल निवासी ग्राम मटहिया थाना सिंगाही खीरी उम्र 36 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। तथा अभियुक्त रामकिशोर पुत्र हिमांचल निवासी ग्राम मटहिया थाना सिंगाही खीरी को मा0 न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही हेतु समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

रामकिशोर पुत्र हिमांचल निवासी ग्राम मटहिया थाना सिंगाही खीरी

बरामदगी

अभि0 रामकिशोर पुत्र हिमांचल निवासी ग्राम मटहिया थाना सिंगाही खीरी के कब्जे एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना

बरामदगी स्थल समय व दिनांक

बरामदगी स्थल- ग्राम बथुआ मोड़ से मटहिया को जाने वाले रास्ते पर बहद ग्राम मटहिया दिनांक 24.12.2020 समय 10.15 बजे

आपराधिक इतिहास

क्र0स0	मु030स0	धारा	थाना
1.	87/2015	364 A IPC	थाना सिंगाही खीरी
2.	447/2020	3/25 A.ACT	थाना सिंगाही खीरी

पुलिस टीम 1.)SOश्री प्रदीप कुमार सिंह(2)30नि0 श्री व्यास यादव (3.)का0 सुशील कुमार (4) का0 नीरज कुमार थाना सिंगाही खीरी

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 155 लीटर अवैध कच्ची शराब, 03 अवैध भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना गोला	40 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना कोतवाली सदर	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना तिकुनिया	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना सिंगाही	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मैंगलगंज	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मोहम्मदी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना फरधान	09 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना फूलबेहड़	06 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	155 लीटर	11 अभियुक्त गिरफ्तार